विधान सभा प्रश्न

तत्काल / आज ही

कार्यालय पंजीयक सहकारी समितिया
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
ओल्ड कोर्ट बिल्डिंग संसद मार्ग नई दिल्ली - 110001

फा0 संख्या : 47/AR/Sec-IV/H/RCS/10765800/477 दिनांक 29/07/2021

सेवा मे

उप सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054

विषयः— उत्तर तारांकित प्रश्न स0 23 दिनांक 30.07.2021 के लिए।

महोदय,

आपके पत्र दिनांक 22/07/2021 के संदर्भ में प्रश्न संख्या 23 तारांकित का उत्तर प्रेषित है जो की विभागाध्यक्ष द्वारा स्वय हस्ताक्षरित है और माननीय मंत्री (सहकारिता) द्वारा अनुमोदित है तथा निर्देशानुसार 100 प्रतिलिपियां एवम् सॉफ्ट कॉपी पेनड्राइव मे संलग्न है।

संलग्न :-

(1) 100 प्रतिलिपियां
(2) पेनड्राइव मे सॉफ्ट कॉपी

29/7/21
(अशफाक़ अहमद अरफ़ी)

सहायक पंजीयक (समन्वय)

कार्यालय, पंजीयक, सहकारी समितियां

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

पुरानी कचहरी परिसर, संसद मार्ग, नई दिल्ली

तारांकित प्रश्न संख्या : **23**

दिनांक: : **30/07/2021**

प्रश्नकर्ता का नाम : **श्री सौरभ भारद्वाज**

क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :

प्रश्न	**उत्तर**
क. क्या विभाग को मियांवाली हाउस बिल्डिंग सोसायटी में अनियमितताओं की कोई शिकायत प्राप्त हुई है।	क) जी हाँ,
ख. क्या यह सत्य है कि एक व्यक्ति को दिल्ली सहकारी समिति नियम, 2007 का उल्लंघन करते हुए इसकी सदस्यता प्रदान की गई थी। ग. क्या यह सदस्यता मूल दस्तावेजों की मांग किए बिना प्रदान की गई थी, जबकि नियमों के ऐसा नियत है।	(ख व ग) सदस्यता सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी द्वारा प्रदान की जाती है। दिल्ली सहकारी समिति नियमावली, 2007 के प्रावधानों का पालन किए बिना सदस्यता दिए गए व्यक्ति का ब्यौरा नहीं दिया गया है। प्रश्न के घ भाग से प्रतीत होता है कि यह प्रश्न श्री विकास धमीजा से सम्बंधित है। इसका विवरण प्रश्न घ भाग में विस्तार से किया है।
घ. दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों और नियमावली का पालन किए	घ. 1) सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी ने **22-05-2018** को एक प्रस्ताव पेश किया था कि स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा वर्ष **1966** से मेम्बरशिप नंबर **1102** के साथ

देविन्द्र सिंह

बिना इस व्यक्ति के लिए डीडीए को 300 वर्ग गज के भूखंड आवंटित किए जाने की संस्तुति किए जाने के क्या कारण है।	**632** सदस्यों की मूल फ्रीज सूची के सदस्य थे और इस तथ्य को माननीय उच्च न्यायालय के डब्ल्यूपीसी संख्या **5580/1993**, केस मुलख राज चावला **v/s** आरसीएस के दिनांक **30.10.1995** के आदेश के तहत आर.सी. एस द्वारा नियुकत इलेकशन अफ़सर कम चेयरपरसन कम अबसरवर, श्री आर.सी. रिछारिया ने दिनाकं 11.04.1996 को स्वीकार किया था। इस तरह स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा एक वैध रूप से नामांकित फ्रीज सूची के सदस्य थे. 2. मियांवली डिस्ट्रिक्ट सीएचबीस लिमिटेड की मैनेजिंग कमेटी ने **22.05.2018** को मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए प्रमाणित किया था कि स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा फ्रीज सूची के सदस्य थे और उनकी मृत्यु पर आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करने के बाद, स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा की सदस्यता **30.12.2017** को उनके असली बेटे श्री विकास धमीजा को स्थानांतरित कर दी गई थी। 3. सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी ने प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराए थे:- (i) सोसायटी के उपाध्यक्ष और सचिव द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म डी (अनुसूची VII के खंड 16 में संदर्भित) पर हलफनामा। (ii) सोसायटी के उपाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म जी में हलफनामा। (iii) श्री विकास धमीजा द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म सी (अनुसूची VII के खंड 13 में संदर्भित) पर हलफनामा। (iv) गृह मंत्रालय में श्री रविंदर नाथ पीएस के आई कार्ड की प्रति के साथ श्री विकास धमीजा के फॉर्म एफ पर सत्यापन प्रमाण पत्र।

देवेन्द्र सिंह

	(v) पैन कार्ड की प्रति (vi) आधार कार्ड (vii) वित्तीय आयुक्त के आदेश दिनांक 28.10.1994. सोसाइटी ने प्रस्ताव पर आपातियाँ आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन दो प्रमुख समाचार पत्रों स्टेट्समैन (अंग्रेजी) और राष्ट्रीय सहारा (हिंदी) में प्रकाशित किया. सोसाइटी ने जानकारी दी कि इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी। उपर्युक्त के अतिरिक्त सदस्य श्री विकास धमीजा ने अपने पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं जिनका विधिवत सत्यापन किया गया।. (i) स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा के नाम पर शेयर प्रमाण पत्र की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति। (ii) स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा के नाम पर राशन कार्ड की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति। (iii) मियांवाली जिला सीएचबीएस द्वारा जारी भुगतान रसीद की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति। (iv) स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा की सदस्यता के लिए आवेदन की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति। (v) वित्तीय आयुक्त के आदेश दिनांक 28.10.1994 की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति (vi) 78209/- रुपये की रसीद संख्या 13229 की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति (vii) सोसायटी के स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा के व्यक्तिगत खाते की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति। (viii) श्री विकास धमीजा के संबंध में सदस्यता रजिस्टर के प्रासंगिक पृष्ठ की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति।

	(ix) सी.वी.सी के परिपत्र संख्या 40/11/06 की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति। 4. श्री विकास धमीजा के बारे में सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी ने प्रमाणित किया था कि मैनेजिंग कमेटी ने 30.12.2017 को हुई अपनी बैठक में संबंधित अभिलेखों की जांच की है और खुद को संतुष्ट किया हे कि यह सदस्य दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003, दिल्ली सहकारी समिति नियम 2007, व पंजीकृत उप-नियमों के तहत वैध सदस्यता की आवश्यकता को पूरा करने वाले सदस्य है। .5इस तथ्य के बावजूद, कि सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी ने **22.05.2018** को प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, श्री विकास धमीजा पुत्र स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा को आरसीएस द्वारा अपनी सदस्यता को स्वीकृत करने में देरी के कारण दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में डब्ल्यूपीसी संख्या **7239/2019** के तहत रिट दायर करनी पड़ी थी। माननीय उच्च न्यायालय ने **09.07.2019** को निर्देश दिए थे कि "याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि सहकारी समिति के रजिस्ट्रार ने अभी तक आवंटन के लिए याचिकाकर्ता के नाम की मंजूरी पर निर्णय नहीं लिया है। उत्तरदाताओं को उक्त देरी के कारणों का खुलासा करने का निर्देश दिया जाता है । अगली तारीख से पहले मूल रिकॉर्ड उपलब्ध रखा जाएगा। जवाब, यदि कोई हो, छह सप्ताह के भीतर दायर किया जाए । इस रिट में सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी पहले ही हलफनामा दाखिल कर चुकी है कि उन्होंने श्री विकास धमीजा के मामले की सिफारिश की है।

देविन्द्र सिंह

	6. इसी तरह के एक अन्य मामले में एक फ्रीज सूची सदस्य सुश्री मंजू बत्रा द्वारा डब्ल्यूपीसी नंबर **12537/2004** दायर की गई । माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि "सोसायटी पहले ही याचिकाकर्ता के नाम को मंजूरी दे चुकी है और नाम उस अध्यक्ष द्वारा भेजा गया था जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपीसी नंबर **5580/1993** में पारित आदेश के तहत नियुक्त किया गया था, जिसका शीर्षक है मुलख राज चावला **v/s** रजिस्ट्रार और एक अन्य, याचिकाकर्ता का नाम **30** अक्टूबर **1995** के आदेश के तहत मंजूरी दे दी गई है कि वह भी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति द्वारा, हमें कोई कारण नहीं दिखता कि रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटी पिछले **10** वर्षों से उसका नाम स्वीकृत न कर के याचिकाकर्ता को परेशान क्यों कर रही है। इन परिस्थितियों में, हम रजिस्ट्रार, सहकारी समिति पर रु**25000 /-** की कॉस्ट लगाकर इस याचिका की अनुमति देते हैं, जो कि **15** दिनों के भीतर जिम्मेदारी तय करने के बाद इस तरह की अत्यधिक देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी से वसूल किया जाना चाहिए । 7. इसी तरह के प्रतिकूल आदेशों से बचने के लिए, श्री विकास धमीजा के मामले में नियम 90 के तहत सांविधिक समिति, जिसमे सचिव (सहयोग)(अध्यक्ष), अपर आरसीएस, उप सचिव (वित्त) और उप सचिव (कानून) सदस्य थे, के द्वारा दिनांक **16.04.2021** को हुई बैठक में, मियांवाली डीएचबीएस लिमिटेड की मैनेजिंग कमेटी की विशिष्ट सिफारिशों को उचित जांच के बाद सही पाया गया और विभिन्न स्तरों पर आरसीएस कार्यालय में अधिकारीयों द्वारा जाँच और

देविन्द्र सिंह

	सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने के बाद अनुमोदित किया गया। 8. यह सिफारिश इसलिए की गई है क्योंकि यह सदस्यता दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003, दिल्ली सहकारी समिति नियम 2007, व सोसाइटी के पंजीकृत उप-नियमों के अनुसार उचित है।
ड.) क्या यह भी सत्य है कि सहायक पंजीयक व अतिरिक्त पंजीयक ने इस व्यक्ति को सदस्यता दिए जाने का विरोध किया था ।	सदस्यता के सत्यापन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त होने पर आरसीएस कार्यालय में प्रशासनिक पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों के अधिकारी छानबीन करते हैं और अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, लेकिन यदि मांगी जा रही जानकारी अभिलेखों में पहले से ही उपलब्ध है, तो अगला उच्च अधिकारी हमेशा एक अलग दृष्टिकोण अपना सकता है और इस मामले में अंतिम दृष्टिकोण को नियम **90** के तहत सांविधिक समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।
च) सहायक पंजीयक द्वारा की गई आपत्तियों का विवरण तथा जिस प्रकार इन आपत्तियों का निराकरण किया गया उसका विवरण दें; और	सहायक पंजीयक ने बस इतना कहा था कि सोसायटी ने अनुसूची सातवीं के अनुसार उनके समक्ष मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए हैं। सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी की सिफारिश, विशेष रूप से यह तथ्य कि स्वर्गीय श्री हंसराज धमीजा फ्रीज सूची के सदस्य थे, पर विधिवत विचार किया गया है और सदस्य को जारी सोसायटी के उपलब्ध मूल अभिलेखों का सदस्य के माध्यम से विभाग के अधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापन किया गया । आपत्तियां मान्य नहीं पाई गईं और नियम **90** सांविधिक समिति ने सोसाइटी की सिफारिश को उचित माना, विशेष रूप से यह तथ्य कि मूल सदस्य एक फ्रीज सूची सदस्य था जिसकी सदस्यता उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद उनके वास्तविक बेटे श्री विकास धमीजा के पक्ष में

	स्थानांतरित कर दी गई थी और सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी द्वारा दिनांक **30.12.2017** का प्रस्ताव पारित किया गया था। सोसायटी द्वारा सदस्य को जारी किए गए रिकॉर्ड की पुष्टि की गई और मामले में आगे की कार्रवाई के लिए डीडीए को सिफारिश की गई ।
छ) क्या यह भी सत्य है कि इस घटना के बाद सहायक रजिस्ट्रार को उसके सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया गया था?	संबंधित सहायक रजिस्ट्रार 25.04.2021 को होने वाले गुरुद्वारा चुनाव में 02 विधान सभा क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें कोविड ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया था । न्यायालय की अवमानना के विभिन्न मामले लंबित होने के कारण अनुभाग/शाखा के सुचारू संचालन के लिए एक अन्य सहायक रजिस्ट्रार को इसका प्रभार दिया गया था । आगे संबधित सहायक रजिस्ट्रार को सेवा विभाग के आदेश संख्या 311 दिनांक 12.07.2021 के तहत स्थानांतरित किया गया था, जिसमें कहा गया कि अधिकारी सहकारिता विभाग से किसी भी आदेश की प्रतीक्षा किए बिना कार्यमुक्त रहेंगे।

देविन्दर सिंह
विभागाध्यक्ष

DEVINDER SINGH, IAS
Secretary (Co-op)-cum-Registrar (Co-op Societies)
Govt. of N.C.T. of Delhi.
Old Court Building,
Parliament Street, New Delhi-110001